

No. 2/23/2006 - PI

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय /MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

पंचम तल, 'A' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ राजेंद्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 30-05-2016

सेवा में,

श्री शक्ति सिन्हा
डी-8, टावर 6, न्यू मोती बाग
न्यू दिल्ली-110023

Sub: Nomination as chairperson on the QRB of ICoAI-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Notification No. GSR 541(E) dated 24th May, 2016 through which your appointment as Chairperson on the Quality Review Board of the Institute of Cost Accountants of India, has been notified.

भवदीय,



(रवि वजीरानी)

अवर सचिव, भारत सरकार.

दूरभाष : 23384502

संगलनक: यथा वर्णित

प्रतिलिपि:

सचिव,
इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया,
12, सदर स्ट्रीट,
कोलकाता-700016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 366]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

सा.का.नि. 541(अ).— केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निर्बधन और शर्तों और भत्ते नियम, 2006 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1693 (अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1)	श्री शक्ति सिन्हा, डी-8, टावर 6, न्यू मोती बाग नई दिल्ली - 110023	अध्यक्ष"
"(2)	श्री सिवारमन गोपाल कृष्णन भारतीय लागत लेखापाल संस्थान	सदस्य"
"(3)	श्री कुनाल बनर्जी भारतीय लागत लेखापाल संस्थान	सदस्य"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/23/2006-पीआई]
के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1693, तारीख 3 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 69(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. सं. 645 (अ), तारीख, 15 सितम्बर, 2014 और सा.का.नि. सं. 907 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

G.S.R. 541(E).— In exercise of the powers conferred by section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Cost and Works Accountants (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 1693 (E) dated the 3rd October, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (1), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely:-

- | | |
|--|--------------|
| “(1) Shri Shakti Sinha
D-8, Tower 6, New Moti Bagh
New Delhi-110023 | Chairperson” |
| “(4) Shri Sivaraman Gopalakrishnan
Institute of Cost Accountants of India | Member” |
| “(5) Shri Kunal Banerjee
Institute of Cost Accountants of India | Member” |

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/23/2006-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* G.S.R. 1693(E) dated 3rd October, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 69(E), dated 6th February, 2012, G.S.R. 645(E), dated 15th September, 2014, and G.S.R. 907(E), dated 30th November, 2015.